न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खूँटी

विविध अपील नं0– 02R15/2013

विनोद बोदरा एवं अन्य – अपीलकर्त्ता

बनाम्

बरेया मुण्डा एवं अन्य – विपक्षी

आदेश

23/16 प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता विनोद बोदरा (2) प्रफूल बोदरा दोनों के पे0 स्व0 प्रसन्न बोदरा मैदान टोली, कदमा, जिला खूँटी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय द्वारा अनुमति वाद संख्या–85/10–11, 421/09–10, 34/11–12, 111/12–13, 35/11–12 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है साथ ही समय क्षांति हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, खूँटी द्वारा दिनांक 30.01.2013 को उक्त वाद की अग्रेतर सुनवाई हेतु अंगीकृत कर विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया साथ में निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जो कि अभिलेख के साथ संलग्न है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि खाता नं0 18 मौजा कदमा, थाना खूँटी आर0एस0 (हाल नाप) खतियान में सिकमी (दर रैयत) खाता मतियस मुण्डा वाद सुखुवा मुण्डा वो प्रसन्न बोदरा पेशरान शनतोक बोदरा वो बीशुन मुण्डा जीवा मुण्डा साकिन देह बाहिस्सा बराबर दर्ज है। खाता नं0 19 के पड़ेया मुण्डा वो लगान पाने वाला दर्ज है। आवेदकगण खतियानी दर रैयत (सिकमीदार) परसन बोदरा पिता संतोक बोदरा के पुत्र गण है। हाल नाप (आर0एस0) 1930 ई0 से बहुत पहले से आवेदक गण के पिता परसन बोदरा (खाता नं0 18 के प्लॉट नं0 16 एवं 17 पर मकान सहन एवं बारी बनाकर रहते चले आये। सन् 1969 ई0 में पिता के मृत्यु के बाद अपनी माता के साथ आवेदक गण रहते चले आये और कभी भी किसी ने रोक टोक नहीं किया है। परसन बोदरा को छोड़ बाकी दर रैयत गण नावल्द मर गये। विपक्षी नं0 (1) बड़ेया मुण्डा (2) अमर नाग एवं (3) जेवियर नाग ने बिना किसी सरोकार के खाता नं0 18 के प्लॉट नं0 16 एवं 17 के कुछ जमीनों को विपक्षी नं0 4 से 8 को न्यायालय एल0आर0डी0सी0, खूँटी को गुमराह कर एवं तथ्यों को छिपा कर धारा 46 सी0एन0टी0 एक्ट के अन्तर्गत परमिशन प्राप्त कर बेच दिये जो सरासर गैरकानूनी एवं अन्याय और धोखाधड़ी है। खाता नं0 19 में बहुत से प्लॉट हैं। निम्न न्यायालय द्वारा सही ढ़ंग से नोटिस भी जारी नहीं हुआ सिकमीदार के पुत्रों को, जो आवेदक हैं, को कोई सूचना नहीं निर्गत की गयी और चुपके–चुपके कागजी कार्यवाही करके फर्जी तामिला हो गया। जिनके चलते आवेदकगण को कोई जानकारी ही प्राप्त नहीं हुई। जितनी भी खरीद बिक्री की कार्यवाही हुई है सभी फर्जी है क्योंकि खाता नं0 18 के पेज नं0 16 एवं 17 पर दर

रैयत (सिकमीदार) परसन बोदरा के पुत्रों आवेदक गण का दखल कब्जा 45–46 वर्षों से आ रहा है और आज भी कायम है। दररैयत के वारिसों का भी वही हक सरोकार है, जो स्व दररैयत का है, यह वंशानुगत हक है। सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 4 एवं 6 रैयत एवं दर रैयत (सिकमी) की पूर्ण व्याख्या करता है तथा दोनों को ही बराबर का दर्जा प्रदान करता है। सिकमी रैयत को ही अन्दर रैयत या दर रैयत भी कहा जाता है। रैयत जब चाहे दर रैयत को हटा कर स्वयं काबिज हो सकता है सरासर गलत है। उक्त वाद में विपक्षी गण (रैयत) को कोई अधिकार कानूनी रुप से आवेदक गण की जमीन को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है और उनका ऐसा करना गैर कानूनी है तथा जो भी उनके द्वारा किया गया है वह न्यायालय को भ्रमित कर किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि अपीलकर्त्ता का विवादी जमीन पर किसी प्रकार का हक दखल और सरोकार नहीं है। विवादी जमीन विपक्षी की कायमी जमीन है, जिसका मालगुजारी विपक्षी राज्य सरकार को देते हैं तथा राज्य सरकार के पहले ग्राम कदमा के जमीन्दार ठाकुर महेन्द्र नाथ शाहदेव जरिया को देते थे। विपक्षी द्वारा सी0एन0टी0 के अन्तर्गत श्रीमान् उपायुक्त से उचित आदेश पाने के बाद जमीन खरीदा है। जब–जब इनलोगों ने श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में धारा 46 C.N.T. Act के अन्तर्गत आवेदन दिया ग्राम कदमा में आम नोटिस दिया गया था उक्त नोटिस पाने के बाद में किसी ने हुजूरदारी दाखिल नहीं किया। आम नोटिस के प्रकाशन के बाद ही अनुमति प्रदान किया। जमीन खरीदने के बाद अर्थात् विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद अंचल अधिकारी, खूँटी के न्यायालय में अपना–अपना नाम से नामान्तरण के लिए दिया गया उस समय भी पाँच बार सर्वसाधारण नोटिस का प्रसारण हुआ, किन्तु कभी भी किसी ने कोई हुजूरदारी नहीं किया तथा हम सभी विपक्षियों का आवेदन स्वीकृत हुआ तथा क्रय किये गये जमीनों के लिए हम लोगों का नाम नामान्तरण हुआ तथा मालगुजारी देते रहे हैं न उनका नाम का नामान्तरण ही हुआ है। आवेदक वृन्द अपने को सिकमीदार कहते हैं, किन्तु सिकमीदार का सिकमी केवल खतियानी सिकमीदार को होता है। सिकमी हक सिकमीदारों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलती है वर्ष 2009–10 के आदेश के विरुद्ध 2013 में कोई अपील नहीं किया जा सकता है और वर्त्तमान आवेदकों ने श्रीमान् अंचल अधिकारी के नामान्तरण वादों का अपील नहीं किया बल्कि एक विविध अपील, जो किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आता है, दाखिल कर हमारे लाखों रुपये के निबंधित विक्रय पत्रों को नाजायज करार करने के लिए दो रुपये का टिकट देकर दिया है। विक्रय पत्रों को नाजायज कराने के लिए सिर्फ व्यवहार न्यायालय को उचित न्यायिक शुल्क देकर ही कराया जा सकता है। जमीन खरीदने के बाद सभी विपक्षी अपने–अपने जमीन पर दखलकार है। जमीन खरीदने के पहले विपक्षी एवं विक्रेतागण मिलकर जमीन का नाप करा कर खरीदे हैं। प्रत्येक विक्रय पत्र में जमीनों का चौहदी तथा आकार का विस्तृत विवरण है उस समय वर्त्तमान गाँव के सभी लोगों ने देखा था। वर्त्तमान आवेदन विपक्षियों को तंग करने के लिए किया गया है। अतः अपील आवेदन को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं अध्ययन तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जमीन का हस्तांतरण नियमानुसार किया गया है, साथ ही अपील कालबधित है। विभिन्न आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल है कि धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध उसी अधिनियम से संबंधित धारा के अन्तर्गत अपील किया जाना चाहिए ना कि विविध अपील जैसा की अपीलकर्त्ताओं द्वारा किया गया है। विविध अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

उभय पक्षों एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/03/16
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी।

29/03/16
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी।